न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 123/2019

दायर तारीख :– 26-12-2019

1. रोहिताश पुत्र गोपीराम
2. प्रभाती देवी पत्नि गोपीराम
3. भाग्यवती
4. मंजू देवी
5. अनिता
6. सुशीला
7. कलावती

(3 से 7) पुत्रियान गोपीराम

समस्त जाति बलाई निवासी बीलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू
2. सुगला
3. सूरजा

(1 से 3) पुत्रान प्रभात

4. गुलाब चंद पुत्र कन्हैया लाल
5. गोपीराम पुत्र प्रभात
6. प्रहलाद पुत्र कन्हैयालाल
7. बाबूलाल पुत्र प्रभात
8. भागीरथ पुत्र प्रभात
9. ममता पुत्री कन्हैयालाल
10. राजेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल
11. सुनिता देवी पुत्री कन्हैयालाल
12. सीमा पुत्री कन्हैयालाल

(1 से 12) समस्त जाति बलाई निवासी बीलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी आदेश मय पुलिस जाप्ता बाबत</u>

उपस्थित : श्री गुरूशरण दास गौतम, अधिवक्ता प्रार्थीगण
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12
पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

निर्णय

निर्णय दिनांक : 06.01.2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बीलवाडी के खसरा नम्बर 2344/1335 रकबा 1.00 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.00 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072-2075 है। यह है वाकै ग्राम बीलवाडी के खसरा नंबर 1164/2238 रकबा 0.09, 1310 रकबा 1.09, 1313 रकबा 1.13, 1314 रकबा 1.29, 1315 रकबा 0.82, 1316 रकबा 0.65 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 5.07 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा वाकै ग्राम बीलवाडी के खसरा नंबर 1301 रकबा 2.14, 1302 रकबा 0.29, 1303 रकबा 1.44, 1304 रकबा 0.62, 1305 रकबा 0.16, 2360/1306 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 4.73 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 12 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि खसरा नंबर 1315 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि की सीमाए प्रार्थीगण की उक्त आराजी की सीमाओं से लगती हुई है इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 आये दिन सीमाओं के सींव डोल को लेकर विवाद खडा करते रहते है तथा प्रार्थीगण की भूमि में अवैध रूप से कब्जा करने में एवं कृषि कार्य करने में दखल अंदाजी करते रहते है। यह है कि प्रार्थीगण के हाल खसरा नंबर 2344/1335 के अप्रार्थीगण का हाल खसरा नंबर 1315 व 1301 की सीमाओं के सींव डोल को लेकर आये दिन विवाद खडा करते रहते है इस बाबत प्रार्थीगण ने दिनांक 06.07.2017 को अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान भी करवा लिया है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 उसको भी नहीं मान रहे है। यह है कि खसरा नम्बर 2344/1335 रकबा 1.00 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.00 हैक्टेयर की मौके पर नाप नपत करवाकर जरिये तहसीलदार महोदय को आदेश दिलवाकर मय पुलिस जाप्ता से जिसमें महिला पुलिस जाप्ता भी शामिल हो से पत्थरगढ़ी स्थाई मेड बन्दी सीमा चिन्ह कायम करवाये। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम बीलवाड़ी के खसरा नम्बर 2344/1335 रकबा 1.00 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.00 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी मय पुलिस जाप्ता जिसमें महिला पुलिस जाप्ता भी शामिल हो से पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश तहसीलदार विराटनगर को प्रदान कर मौके पर नाप नपत करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जावे तथा पुख्ता सीमा चिन्ह मेड बन्दी कायम करवाई जावे।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तल्बी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 सम्यक् तामिल अनपुस्थित रहे, इनके विरुद्ध

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम बीलवाडी खाता संख्या 111 संवत् 2072–2075, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बीलवाडी, नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 06.07.2017, नकल जमाबन्दी ग्राम बीलवाडी खाता संख्या 257 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी ग्राम बीलवाडी खाता संख्या 39 संवत् 2076–2079 आदि पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम बीलवाड़ी के खसरा नम्बर 2344/1335 रकबा 1.00 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.00 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीगण की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : 86–87 दिनांक 01.06.2017 की पालना में दिनांक 06.07.2017 को सीमाज्ञान करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित भूमि वाके ग्राम बीलवाड़ी के खसरा नम्बर 2344/1335 रकबा 1.00 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.00 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज 06.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)